[illegible] तैयार है। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। दीवानी प्रार्थना पत्र 01 R10 जा.दी. का जवाब प्राप्त होने बाबत [illegible] अवसर दिया जाता है। दीवानी प्रकीर्ण विपक्षीगण 3 व 4 की तलबी हेतु प्रत्येक कस्मत कायम पेश करना चाहें [illegible] अवसर दिया जाता है वास्ते प्रार्थना पत्र 01 R10 जा.दी. के जवाब तथा विपक्षी सं 3 व 4 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 15-12-17 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है।

15/12/17 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरीकेन उपस्थित। वास्ते प्रार्थना पत्र 01 R10 जा. दी० के जवाब तथा विपक्षी सं० 3 व 4 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 25-1-18 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है।

25-1-18 उभय पक्ष [illegible] उपस्थित अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.4.18 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा॥

रीडर
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

7-5-18 पत्रावली केस.....मौजा.....को पेश हुई। आगामी दिनांक.....16.8.18.....को पेश हो। पूर्वका आदेश यथावत रहेगा। B.O

16-8-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 01 R10 जा. दी० का जवाब बंद किया जाता है। उभयपक्ष ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली तो अपूरणीय क्षति होगी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत मूलवाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवादपत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल